

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

No. RVPN/Karmik/F.2/D. 197

JAIPUR, Dt. 7-03-2005

CIRCULAR

Sub: Letter of condolence to be delivered to the dependents in case of death of any Nigam's employee during service period.

It has been noticed by me that after the death of an employee in service, his dependents face difficulties in getting the dues and admissible claims settled in time, out of ignorance of the rules and procedure. The Nigam itself takes time even to send its condolences to the dependents.

In future, in case of the death of an employee of the Nigam during her/his service period, whether due to an accident or naturally, a letter of condolence must be delivered to the dependents of the deceased expressing condolences on behalf of the management and containing the details of all dues and admissible claims and the formalities to be gone through to obtain them. A model letter of condolence is annexed.

It is, therefore, enjoined upon all the unit officers/controlling officers of the Nigam to issue such letters of condolence in consultation with the DDP/P.O. concerned within five days of the receipt of information of death along with all the forms/formats and a list of all other formalities required to be completed by the legal heirs for each admissible claim etc.

A copy of each such letter issued by any office must also be endorsed to the Secretary(Admn.), RVPN, Jaipur. No instance should come to my notice in the future when the Controlling Officers etc. have been remiss in this regard. I shall view it most seriously, if such a lapse occurs.

Encl: As above



(S.Ahmad)

Chairman and Managing Director

Copy to the following for information and necessary action:-

1. The Director(),RVPN, Jaipur.
2. The Chief Engineer(),RVPN, Jaipur/Jodhpur.
3. The Addl. Chief Engineer(),RVPN,Jaipur.
4. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
5. The Dy.Chief Engineer(),RVPN, Jaipur
6. The Commissioner Enq. (I/II), RVPN, Jaipur.
7. The O.S.D.(), RVPN, Jaipur.
8. The Superintending Engineer(), RVPN, _____
9. The Company Secretary, RVPN, Jaipur.
10. The C.A.O./Dy.COA(), RVPN, Jaipur.
11. The Sr. Resident Officer, Guest House, 59 Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi.
12. The Jt. Director Personnel, RVPN, Jaipur.
13. The Dy. Secy./Asstt. Secy./E.O. (), RVPN, Jaipur.
14. The Sr. Accounts Officer/Accounts Officer(), RVPN, _____
15. The Dy. Director(), RVPN, _____
16. The Asstt.Accounts Officer(Admn.-Store), RVPN, Jaipur.
17. The Executive Engineer(), RVPN, _____
18. PS to CMD (), _____ Jaipur.
19. PS/PA to Director(),RVPN,Jaipur.
20. The Sr.Resident Officer(RAP-EC-I), H.Q.,RVPN, Jaipur.
21. PA to Secretary(Admn.),RVPN, Jaipur.
22. Office order/Master File.

(SHRI RAM CHORDIA)

SECRETARY (ADMN.) JPD/Rules-185

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. JPD/CAO/Rules/F.17/D. 180

Jaipur, dt. 28.4.2005.

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Chief Engineer(), Jaipur Discom, Jaipur.
2. The Financial Advisor & Controller of Accounts, JPD, Jaipur.
3. The Chief Personnel Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
4. The Secretary, Jaipur Discom, Jaipur
5. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), Jaipur Discom, Jaipur.
6. The Dy. Chief Engineer (), Jaipur Discom, Jaipur.
7. The Superintending Engineer (), Jaipur Discom, _____
8. The Company Secretary, Jaipur Discom, Jaipur
9. The Sr. Accounts Officer (), Jaipur Discom, _____
10. The Dy. Director Personnel, Jaipur Discom, _____
11. The Executive Engineer (), Jaipur Discom, _____ He is requested to endorse copy of above circular to all the subordinate offices.
12. The Dy. Secretary (GAD), JPD, Jaipur.
13. The Public Relation Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
14. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, Jaipur
15. The Asstt. Secretary/Estt. Officer (), Jaipur Discom, Jaipur
16. P.A. to the MD, Jaipur Discom, Jaipur.

Asstt. Accounts Officer (Rules)



राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

रजि. कार्यालय : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर 302005

क्रमांक/साराविप्रनिति/प्रशासन/कार्मिक/प्रे.

जयपुर, दिनांक

श्री/श्रीमती.....

पति/पत्नि स्व. श्री/श्रीमती.....

विषय:- श्री..... के निधन पर निगम की ओर से शोक संवेदनाएं ।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में सेवारत रहते हुए अपरिहार्य कारणों से /कार्य करने के दौरान घातक दुर्घटना में श्री..... के दिनांक..... को हुये निधन पर निगम परिवार अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुये, आप व आपके परिवार को इस दुःखद त्रासदी को सहन करने व दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता है ।

ऐसी दुःखद स्थिति में दिवंगत कर्मचारी के परिवार को तुरन्त आर्थिक सम्बल देने हेतु निगम में निम्न प्रावधान है :-

1. कर्मकार की कार्य समय के दौरान कार्य करते समय हुई घातक दुर्घटना से निधन होने पर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है । अतः दिवंगत कर्मकार की क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । कार्यवाही पूर्ण होते ही कर्मकार क्षतिपूर्ति की राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त..... के कार्यालय में जमा करा दी जावेगी, जिसकी सूचना आपको भी दी जावेगी । कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त..... के कार्यालय से आप द्वारा दावा प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की जा सकेगी ।
2. निगम द्वारा धारित राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार आपको अथवा आपके द्वारा प्रस्तावित दिवंगत कर्मचारी के अन्य आश्रित को निर्धारित शर्तों/दशाओं के अध्याधीन अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कर्मचारी के निधन के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के अन्दर विधिवत रूप से आवेदन करना आवश्यक है । अन्य आश्रित के आवेदन की स्थिति में उसकी उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है । अतः यदि आप स्वयं अथवा अन्य एक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलवाना चाहती है तो संबंधित कार्यालय में जहां मृतक कर्मचारी अन्तिम समय में कार्यरत थे, 90 दिवस की अवधि के अन्दर आवेदन करें । आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची संलग्न है । यदि विधवा स्वयं कृपामूलक नियुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहती है व मृतक कर्मचारी के ज्येष्ठतम आश्रित(पुत्र/पुत्री) के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रूपये 500/- प्रतिमाह भृतिलाभ के रूप में देय होंगे जिसके लिये अन्य शर्तों के साथ विधिवत रूप से आवेदन करना होगा ।

3. आपके परिवार को तुरन्त आर्थिक सहायता के लिये रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) अनुग्रह राशि रूप में प्रदान किये जायेंगे जिसके लिये आपको आवेदन करना होगा। यह आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है।
4. मृतक कर्मचारी की मृत्यु दिनांक को उनके अवकाश खाते में दिनों का उपाजित अवकाश शेष था जिसके नगद भुगतान हेतु आप अवकाश प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मृतक कर्मचारी ने सामान्य भविष्य निधि योजना/अंशदायी भविष्य निधि योजना धारण कर रखी थी। अतः इसमें जमा राशि आपको देय है जिसके लिये निर्धारित प्रारूप(संलग्न) में आवेदन करें व साथ में निम्न दस्तावेज संलग्न करें:-
- 1) कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
 - 2) आवेदक(पत्नी) के तीन फोटो
 - 3) जन्म दिनांक/आयु का प्रमाण पत्र
 - 4) पहचान का निशान
 - 5) परिवार के सदस्यों की सूची आदि।
6. आपके पति की मृत्यु पर पेंशन एवं उपदान(ग्रेच्युटी) भी देय है जिसके लिये आप संलग्न निर्धारित प्रपत्र सेवा निवृत्ति प्रपत्रों का कूलक को पूर्ण करवाकर प्रस्तुत करें जिसके लिये निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र /सूचनाएं भी प्रस्तुत करें :-
- 1) आवेदक की पासपोर्ट साइज की पांच फोटो
 - 2) परिवार के सदस्यों की पासपोर्ट साइज की प्रत्येक की 5-5 फोटो
 - 3) मृतक कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
 - 4) सेवानिवृत्ति के प्रपत्रों के कूलक में संलग्न विभिन्न सूचनाओं की पूर्ति यथा:- आवेदक एवं परिवार के सदस्यों की उम्र/जन्म दिनांक, वैवाहिक स्थिति तथा पहचान चिह्न आदि।
7. आपके पति कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्य थे। अतः आपको क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के कार्यालय से पेंशन देय होगी जिसके लिये संलग्न आवेदन पत्र भरकर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
8. आपके पति अंशदायी भविष्य निधि योजना के सदस्य थे अतः उन्हें उपदान(ग्रेच्युटी) एवं डी.एल.आई. का भुगतान भी देय है। अतः संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।
9. आपके पति की मृत्यु दुर्घटना में होने के कारण समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ भी देय है। अतः आप संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाओं के साथ आवेदन करें।
10. आपके दिवंगत पति पर कर्मचारी बीमा योजना लागू थी, अतः दुर्घटना हित लाभ कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालय द्वारा प्रदान किये जायेंगे, जिसके लिये उन्हें पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा सूचना भिजवा दी गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

नियंत्रक अधिकारी
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम